सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

विषय – सूची

अध्याय 1 प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-4
अध्याय 2 प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	5
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	5
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	5-6
अध्याय 3 संरक्षित संस्मारक - निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संस्मारक का स्थान और अवस्थिति	7-8
3.2	संस्मारक की संरक्षित सीमा	8
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अधिसूचना मानचित्र/योजना	8
3.3	संस्मारक का इतिहास	8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8-9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
अध्याय 4 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय 5 प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारक की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	12
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	13
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	13
अध्याय 6 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	14
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14-15
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	15
6.5	संरक्षित संस्मारक के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष	15
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	15
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	15
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	16
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	16
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	16
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	16
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	16
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	16
	6.13.2 पुनर्निर्माण	17
	6.13.3 नया निर्माण	17-19
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	19
अध्याय 7 स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	20
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	20

CONTENTS		
CHAPTER 1 PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	21
1.2	Definitions	22-23
CHAPTER 2 Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	24
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	24
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	24-25
CHAPTER 3 Location and Setting of Protected Monument - Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monument	26-27
3.2	Protected Boundary of the Monument	27
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	27
3.3	History of the Monument	27
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	27-28
3.5	Current Status	28
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	28
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	28
CHAPTER 4 Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	29
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	29
CHAPTER 5 Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of the Monument	30
5.2	Analysis of surveyed data	30
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	30
	5.2.2 Description of built up area	30-31
	5.2.3 Description of green/open spaces	31
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.	31
	5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise)	31

	5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings	32
	5.2.7 Public amenities	32
	5.2.8 Access to Monument	32
	5.2.9 Infrastructure services	32
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	32
CHAPTER 6 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monument		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	33
6.2	Sensitivity of the Monument	33
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	33
6.4	Land-use to be identified	34
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monument	34
6.6	Cultural landscapes	34
6.7	Significant natural landscapes	34
6.8	Usage of open space and constructions	34
6.9	Traditional, historical and cultural activities	34
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	34-35
6.11	Traditional architecture	35
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	35
6.13	Permissible Building related parameters	35
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	35
	6.13.2 Reconstruction	35-36
	6.13.3 New Construction	36-37
6.14	Visitor facilities and amenities	37
CHAPTER 7 Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	38
7.2	Other Recommendations	38

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh	39
अनुलग्नक-I (क) Annexure–I (a)	निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा को दर्शाने वाला अभिलेखीय मानचित्र Archival Map showcasing the Protected Boundary of Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh	40
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारक की अधिसूचना Notification of the Monument	41-42
अनुलग्नक-III Annexure-III	संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के चित्र Images of the Protected Monument and its surrounding areas	43-47

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारक **"निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, द्वारका, नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप-नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 10.09.2020 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय 1
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारक – **"निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन: निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है:

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है **(i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और **(ii) विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन: निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय 3

संरक्षित संस्मारक - निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति:

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश बुरहानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में असीरगढ़ गांव में स्थित है।

जीपीएस निर्देशांक हैं: **अक्षांश:** 21°28'11" उत्तर, **देशांतर:** 76°16'48" पूर्व।

संरक्षित संस्मारक बुरहानपुर जिले के मध्य क्षेत्र में स्थित है जो सतपुड़ा रेंज की सुरम्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसके सुंदर और शांत वातावरण में योगदान करते हैं। भूभाग में खुली बंजर भूमि शामिल है, जिसमें पेड-पौधों वाली भूमि के टुकड़े हैं, जो शुष्क और हरियाली वाले क्षेत्रों का मिश्रण हैं। संरक्षित संस्मारक राज्य राजमार्ग - 27 (इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग) के माध्यम से आसानी से पहुँचा जा सकता है, जो बुरहानपुर शहर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। संरक्षित संस्मारक मंदिर अहाता और एक बावली (बावड़ी) से घिरा हुआ है, जहाँ खरगोन-बुरहानपुर राजमार्ग के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

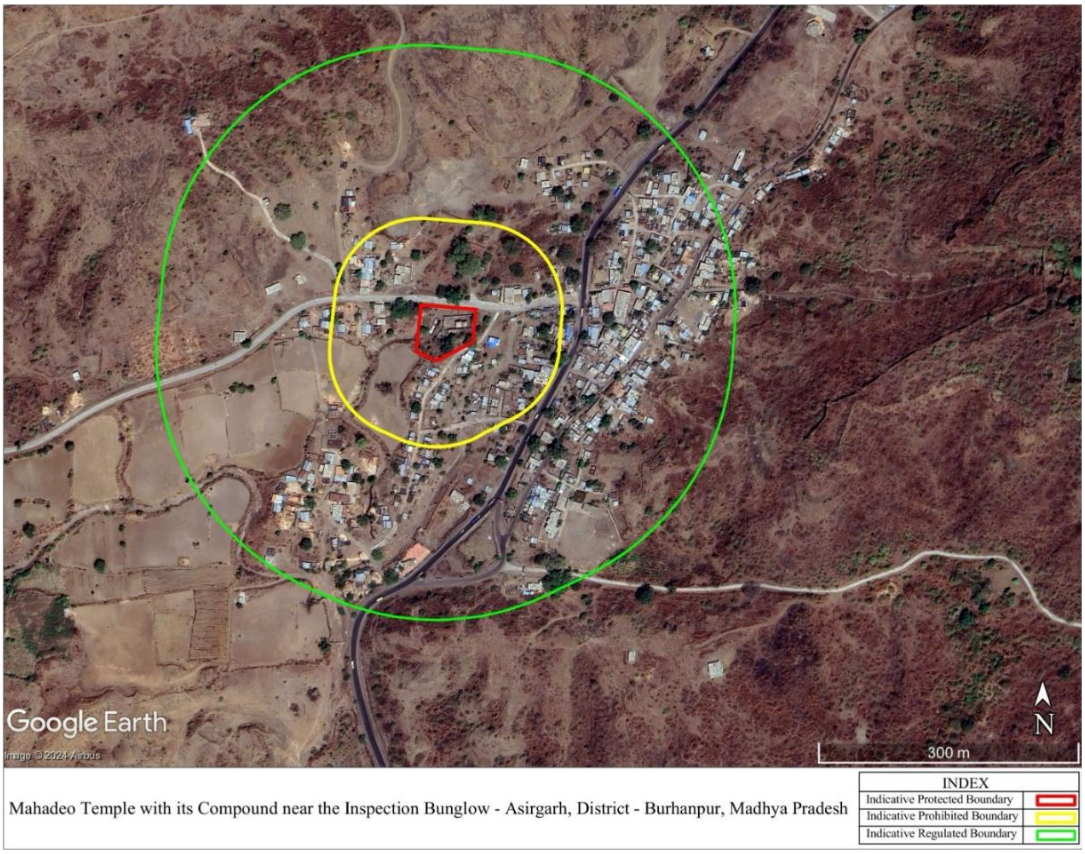

चित्र 1: निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के स्थान को दर्शाता उपग्रह चित्र

संरक्षित संस्मारक के आसपास निर्मित परिवेश कम घनत्व वाला है, जिसमें आवासीय भवन, सरकारी कार्यालय और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विश्राम गृह, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, एक स्कूल और एक डाकघर जैसी आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आसपास के क्षेत्र में मुख्य राजमार्ग के किनारे स्थित दुकानों और होटलों सहित विभिन्न सुविधाएँ हैं। इसके निकट ही एक और संरक्षित संस्मारक मौजूद है जिसे द होल फोर्ट के नाम से जाना जाता है जिसमें सभी दीवारें, सात दरवाज़ा, मस्जिद और मंदिर इसके पूर्व में (असीरगढ़ किला) के स्थित है, शामिल है। किले का एक समृद्ध इतिहास है, जो मुगल काल सहित विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों के दौरान एक प्रमुख गढ़ रहा है। गाँव और किला एक साथ क्षेत्र की स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत की जानकारी देते हैं। इसके अलावा दो अन्य संरक्षित संस्मारक अर्थात् शाह नुमा का मकबरा, असीरगढ़ और ईदगाह, क्रमशः उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशाओं में खुले मंच के साथ सामने की दीवार पास में मौजूद हैं।

निकटतम रेलवे स्टेशन असीरगढ़ रोड स्टेशन है, जो संरक्षित संस्मारक से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा, इंदौर में देवी अहिल्याबाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राज्य राजमार्ग - 27 (इंदौर-इच्छापुर रोड) के माध्यम से लगभग 168 किलोमीटर दूर है, जो देश के विभिन्न शहरों और प्रमुख शहरी केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

3.2 संस्मारक की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारक - निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I (क)** में देखी जा सकती है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

भगवान शिव को समर्पित महादेव मंदिर, असीरगढ़ किले के नीचे, गांव में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के विश्राम गृह के पास स्थित है। इस संरचना को मराठा काल का माना जाता है, क्योंकि असीरगढ़ 1760 ई. में पेशवाओं के नियंत्रण में आया और उसके बाद 1778 ई. में सिंधिया के अधीन आ गया। इसकी स्थापत्य विशेषताओं के आधार पर यह संभावना है कि मंदिर का निर्माण इसी समय हुआ था। मंदिर प्रांगण में एक *दीपस्तंभ* (दीप स्तंभ) है, जो मराठा-काल के मंदिरों का एक विशिष्ट तत्व है। *दीपस्तंभ* में तेल के दीपक रखने के लिए डिज़ाइन किए गए कई छोटे-छोटे आले शामिल हैं, जो मराठा काल की सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

महादेव मंदिर पत्थर के टुकड़ों से तैयार किए गए मंच पर बनाया गया है। मुख्य संरचना में एक गर्भगृह और मंडप शामिल हैं। इसका निचला हिस्सा, जंघा और शिखर सादे हैं और इनमें कोई मूर्ति नहीं है और मंडप के ऊपर एक धारीदार गुंबद है।

मंदिर की यह पूरी संरचना राख की चिनाई से बनी एक खाई के अंदर रखी गई है जिसमें प्रवेश के लिए छोटे दरवाजे हैं और मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर है। मंदिर के सामने एक छोटा कुआं और एक *स्तंभ* (स्तंभ) और छोटे कमरे भी उसी परिसर में मौजूद हैं।

मंदिर की मुख्य संरचना दो खंडों में विभाजित है। पहला प्रवेश कक्ष या मंडप है जिसमें नंदी की पत्थर की मूर्ति के साथ एक घंटी है। मंडप से आगे बढ़ने पर एक दरवाजा दूसरे कक्ष की ओर जाता है जो गर्भगृह है, जहाँ पत्थर से बना एक पुराना शिवलिंग फर्श के केंद्र में स्थापित किया गया है और दीवार के सामने भगवान गणेश की एक पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। दूसरे कक्ष के प्रवेश द्वार पर दो आले भी मौजूद हैं। मंदिर के अलावा संरक्षित संस्मारक के भीतर पश्चिमी दिशा में एक पुरानी बावली भी मौजूद है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारक का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-III** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

संरक्षित संस्मारक को देखने आने वाले लोगों की औसत संख्या प्रतिदिन लगभग 50-60 है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यह संख्या प्रतिदिन लगभग 200 आगंतुकों तक बढ़ जाती है।

अध्याय 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

संरक्षित संस्मारक ग्राम पंचायत असीर में स्थित है। स्थानीय निकायों द्वारा असीरगढ़ में कोई जोनिंग विनियम नहीं हैं।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

निर्माण के लिए सामान्य दिशानिर्देश मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (1973 की संख्या 23) के तहत परिभाषित मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार हैं।

अध्याय 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संस्मारक की सर्वेक्षण योजना:

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

i. संरक्षित क्षेत्र लगभग 3,275 वर्गमीटर (0.80 एकड़) है।

ii. प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 54,261 वर्गमीटर (13.40 एकड़) है।

iii. विनियमित क्षेत्र लगभग 2,97,081 वर्गमीटर (73.41 एकड़) है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

i. **उत्तर:** प्रतिषिद्ध क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के आसपास की खुली भूमि में कई संरचनाएं मौजूद हैं। इनमें एक पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह, एक पुलिया वाली सड़क, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के नाम से जाना जाने वाला एक स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और एक स्कूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पश्चिम दिशा में आवास हैं और उत्तर-पूर्व दिशा में ग्राम पंचायत असीर का कार्यालय भवन है। विनियमित क्षेत्र में कुछ आवास और एक नलकूप मौजूद हैं।

ii. **पूर्व:** प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र कम घनत्व वाली निर्मित प्रकृति को प्रदर्शित करता है, जो मुख्य रूप से खुली बंजर भूमि से घिरा हुआ है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर आवासीय भवन, एक बस स्टॉप, एक वन गृह और एक डाकघर हैं। ग्राम पंचायत असीर का कार्यालय उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है। विनियमित क्षेत्र में राज्य राजमार्ग-27 (इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग) के किनारे दुकानें और होटल हैं, जो ज्यादातर एक मंजिला संरचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, विनियमित क्षेत्र में आवास, पुलिस थाना, शौचालय, ओवरहेड टैंक, दरगाह, ट्यूबवेल और बस स्टॉप जैसी कई इमारतें शामिल हैं। इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग और खरगोन-बुरहानपुर राजमार्ग के चौराहे पर एक मस्जिद स्थित है। उत्तर-पूर्व दिशा में एक पशु अस्पताल भी मौजूद है।

iii. **दक्षिण:** प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में निर्मित विशेषता कम घनत्व की है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवास, शौचालय, एक पुलिया और एक पानी की टंकी है। दक्षिण-पूर्व दिशा में राजस्व निरीक्षक का कार्यालय मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में आवास, स्कूल और मंदिर हैं, साथ ही चार पुलिया और एक कुआं भी है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में आवासीय भवनों का एक समूह है जो तीन तरफ से खुली जमीन से घिरा हुआ है, सिवाय पूर्व की ओर, जहाँ राज्य राजमार्ग-27 (इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग) के किनारे बहुत कम निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में माता श्री खोडियार मंदिर के नाम से एक मंदिर स्थित है।

iv. **पश्चिम:** प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम निर्माण और मुख्य रूप से खुली भूमि की विशेषता है। प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कुछ आवास, कुएं और मौसमी जलधारा के लिए पानी को रोकने के एक बांध हैं। विनियमित क्षेत्र में ज़्यादातर आवासीय इमारतें हैं, साथ ही कुछ अन्य संरचनाएँ भी हैं जिनमें एक ट्यूबवेल और एक पानी की टंकी शामिल है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में कम घनत्व वाले निर्माण और प्रतिषिद्ध तथा विनियमित दोनों क्षेत्रों में हरे-भरे/खुले स्थानों की उपस्थिति की विशेषता है। संरक्षित संस्मारक के उत्तर में परिदृश्य मुख्य रूप से खुली बंजर भूमि है जिसमें बहुत कम इमारतें हैं। पूर्व में कुछ खुले भूखंडों के साथ-साथ आवासीय भवनों के बीच खुले स्थान हैं। दक्षिण-पूर्व में बस्ती से परे खुली बंजर भूमि है। संरक्षित संस्मारक के दक्षिण में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में खुली कृषि भूमि के साथ-साथ खुली बंजर भूमि भी मौजूद है, जिसके बीच कुछ आवासीय इमारतें हैं। दक्षिण में विनियमित क्षेत्र में भी खुली बंजर भूमि है, साथ ही माता श्री खोडियार मंदिर के परिसर में खुली जगह है। संरक्षित संस्मारक के पश्चिम में खरगोन-बुरहानपुर राजमार्ग के दक्षिण में खुली कृषि भूमि मौजूद है। इस क्षेत्र के भूदृश्य में खुली बंजर भूमि शामिल है, जिसके बीच-बीच में वनस्पतियां उगी हुई हैं, जिससे शुष्क और हरे-भरे क्षेत्रों का मिश्रण बनता है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

असीरगढ़ गांव सीधे राज्य राजमार्ग 27 (इंदौर-इच्छापुर हाईवे) से जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण में बुरहानपुर शहर से जुड़ता है। यह राजमार्ग संरक्षित संस्मारक के विनियमित क्षेत्र से होकर गुजरता है और खरगोन-बुरहानपुर राजमार्ग से जुड़ता है, जिससे संरक्षित संस्मारक तक सीधी पहुंच मिलती है। संरक्षित संस्मारक के पूर्वी हिस्से से एक संकरी सड़क गुजरती है, जो राजमार्ग से दक्षिण की ओर जाती है, जो इसे गांव की बस्ती के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर गांव की कई सड़कें और कुछ कच्ची सड़कें मौजूद हैं।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सामान्य निर्मित विशेषता में कम घनत्व निर्माण शामिल है, जिसमें भूतल से लेकर जी+1 ऊंचाई तक की संरचनाएं शामिल हैं, जो मुख्य रूप से आवासीय इमारतों के साथ-साथ कुछ वाणिज्यिक इमारतें हैं। इमारतों की ऊंचाई उत्तर दिशा में लगभग 3 मीटर से 7.5 मीटर तक है। पूर्व और दक्षिण दिशाओं में इमारतों की ऊंचाई लगभग 3 मीटर से 7 मीटर तक है। पश्चिम दिशा में बहुत कम इमारतें मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर तक है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में कोई भी राज्य संरक्षित स्मारक या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन मौजूद नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारक तक पहुँचने के लिए खरगोन-बुरहानपुर राजमार्ग का उपयोग किया जाता है, जो एक पक्की सड़क है और जो संरक्षित संस्मारक के पूर्व में राज्य राजमार्ग 27 (इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग) से जुड़ती है। राज्य राजमार्ग 27 का बुरहानपुर शहर से सीधा संपर्क है, जो संरक्षित संस्मारक से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत सेवाएं उपलब्ध हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित ज़ोनिंग:

संरक्षित संस्मारक ग्राम पंचायत असीर के क्षेत्र में स्थित है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा असीरगढ़ गांव में कोई ज़ोनिंग नियम नहीं हैं।

अध्याय 6

संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 संस्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

वास्तुशिल्पीय महत्व:

असीरगढ़ गांव में महादेव मंदिर इस क्षेत्र की वास्तुकला की सरलता, ऐतिहासिक गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। दीवारों और खंभों पर जटिल नक्काशी और अलंकृत सजावट उस युग की कुशल शिल्प कौशल को दर्शाती है। पत्थर की चिनाई और विस्तृत रूपांकनों का उपयोग उस काल की पारंपरिक निर्माण तकनीकों और कलात्मक शैलियों को दर्शाता है।

ऐतिहासिक महत्व:

महादेव मंदिर मध्यकालीन काल का है। इसकी लंबे समय से मौजूदगी इस स्थल के स्थायी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करती है। मंदिर और आस-पास के क्षेत्र ने विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और परिवर्तनों को देखा है, जिसमें मुगलों और मराठों जैसे विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के शासन की अवधि भी शामिल है। ये ऐतिहासिक परतें मंदिर की समृद्ध कथा को और बढ़ाती हैं।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

संरक्षित संस्मारक एक ऐसे स्थान पर स्थित है, जहां पर ऊबड़-खाबड़ इलाका है, जिसके कारण यह बगल की सड़क के स्तर से नीचे है। मानसून के मौसम में संरक्षित संस्मारक के अंदर और आसपास जल जमाव हो जाता है। संरक्षित संस्मारक तक पहुंचने का रास्ता एक राजमार्ग है, जिस पर वाहनों का भारी आवागमन होता है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर असर पड़ने, ध्वनि और वायु प्रदूषण पैदा होने और कंपन पैदा होने का खतरा रहता है, जिससे संरक्षित संस्मारक की संरचनात्मक अखंडता और प्रामाणिकता को खतरा हो सकता है। वर्तमान में, संरक्षित संस्मारक के आसपास विकास कम घनत्व का है। हालांकि, जैसे-जैसे गांव का विस्तार हो रहा है, प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्र विकास के दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। इससे संरक्षित संस्मारक का ऐतिहासिक संदर्भ और परिवेश बदल सकता है, जिसमें वर्तमान में खुली बंजर भूमि शामिल है, बीच-बीच में वनस्पतियां है जिससे शुष्क और हरे-भरे क्षेत्रों का मिश्रण बनता है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

संरक्षित संस्मारक उत्तर और पश्चिम में खुली बंजर भूमि और कृषि क्षेत्रों के दृश्य प्रदान करता है, साथ ही उत्तर में कुछ बिखरे हुए निर्माण दिखाई देते हैं। पूर्व और दक्षिण में, परिदृश्य मुख्य रूप से पूरे गाँव में फैली आधुनिक इमारतों की विशेषता है।

संरक्षित संस्मारक उत्तर, पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम से खुली बंजर भूमि के कारण दिखाई देता है। हालाँकि, स्पष्ट दृश्यता केवल सटी हुई सड़कों से ही संभव है क्योंकि यह स्थल नीचे की ओर स्थित है। संरक्षित संस्मारक दक्षिण से आंशिक रूप से दिखाई देता है। हालाँकि, पूर्व और दक्षिण-पूर्व दिशाओं में, प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में दृश्यता काफी कम हो जाती है। पूर्व में, संरक्षित संस्मारक आधुनिक संरचनाओं के कारण पूरी तरह से अस्पष्ट है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

किसी भी मास्टर प्लान/विकास योजना के अभाव के कारण, इस क्षेत्र के लिए कोई भूमि उपयोग निर्दिष्ट नहीं है। हालाँकि, प्रतिषिद्ध क्षेत्र में भूमि का मौजूदा उपयोग पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में कृषि के साथ-साथ आवासीय भी है। विनियमित क्षेत्र में मुख्य रूप से आवासीय इमारतें हैं, जबकि कुछ वाणिज्यिक और सार्वजनिक इमारतें हैं।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में आज तक कोई ज्ञात या सूचित पुरातात्विक विरासत अवशेष नहीं हैं।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र में संरक्षित संस्मारक के आस-पास कोई सांस्कृतिक परिदृश्य नही है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संरक्षित संस्मारक उत्तर और पश्चिम में खुली बंजर भूमि से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के परिदृश्य में खुली बंजर भूमि का भूभाग शामिल है, जिसमें कहीं-कहीं वनस्पतियां बिखरी हुई हैं, जिससे शुष्क और हरे क्षेत्रों का मिश्रण दिखाई देता है। बुरहानपुर जिले में मौसमी बदलाव एक गतिशील परिदृश्य बनाते हैं जो मौसम के साथ बदलता रहता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय गतिविधियों दोनों को प्रभावित करता है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में, मानसून के मौसम के दौरान, बंजर या सूखे क्षेत्र हरियाली से भरपूर हो जाते हैं। संरक्षित संस्मारक के उत्तर और पश्चिम में स्थित मौसमी नदियां और बारहमासी तालाब पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में योगदान करते हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

संरक्षित संस्मारक के उत्तर में, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर, खुले स्थान मुख्य रूप से बंजर हैं। संरक्षित संस्मारक के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में, खुले स्थानों का उपयोग वर्तमान में कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इमारतों के बीच खुले स्थान, जिनमें खाली भूखंड और कम घनत्व वाले विकास के परिणामस्वरूप बचे हुए क्षेत्र शामिल हैं, पूरे गांव में फैले हुए हैं। दक्षिण में विनियमित क्षेत्र में माता श्री खोडियार मंदिर परिसर के भीतर खुले स्थान का उपयोग धार्मिक और सांप्रदायिक समारोहों के लिए किया जाता है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान स्थानीय और आस-पास के गांवों के लोग महादेव मंदिर में एकत्र होते हैं।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारक से दिखाई देने वाली क्षितिज रेखा प्राकृतिक विस्तार के साथ-साथ विकसित हो रहे वातावरण के साथ सम्मिश्रित दिखाई देती है, जिससे एक व्यापक और विविध परिप्रेक्ष्य बनता है। उत्तर और पश्चिम में, खुली बंजर भूमि और कृषि क्षेत्र हैं, जिनमें कुछ बिखरे हुए निर्माण दिखाई देते हैं। पूर्व और दक्षिण में, क्षितिज इमारतों का मिश्रण है, जिनके बीच कुछ खुली जगहें हैं।

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी दिशा से क्षितिज में खुली जगहों के साथ इमारतें हैं। उत्तर और पश्चिम से, विस्तृत दृश्यों में खुली बंजर भूमि और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। हालाँकि, संरक्षित संस्मारक केवल आस-पास की सड़कों से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में, कई घर स्थानीय वास्तुकला शैली में बनाए गए हैं। इसमें मिट्टी और कच्ची ईंटों से बने घर शामिल हैं, जिनकी छतें फूस की हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकारियों के पास कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारक या संरक्षित क्षेत्र के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संस्मारक के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984, संशोधित 2012 में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत परिभाषित हैं जब भी संशोधित किए जाएंगे, लागू होंगे। तथापि, इस दस्तावेज में निर्दिष्ट ऊंचाई और अन्य पैरामीटर संस्मारक के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि सहित) या छत पर कोई अन्य सेवाएं:

विनियमित क्षेत्र के सभी जोनों में नए निर्माण या मौजूदा भवनों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **7.5 मीटर** से अधिक नहीं होगी (जिसमें ममटी, पैरापेट, जल भंडारण

टैंक, मशीन रूम, जेनरेटर रूम, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टेरेस गार्डन आदि की पेंटहाउस संरचनाएं या छत पर कोई अन्य सेवाएं शामिल हैं)।

बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. उपयोग:

i. आस-पास के कम घनत्व वाले आवासीय स्वरूप को बनाए रखा जाना चाहिए।

ii. संरक्षित संस्मारक के पश्चिम में खुली कृषि भूमि को बनाए रखा जाना चाहिए।

iii. खुली बंजर भूमि का उपयोग केवल कृषि विकास, पुनर्वनीकरण या मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

3. अग्रभाग डिजाइन:

i. किसी भी नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारक और आसपास के क्षेत्र के समग्र स्वरूप पर हावी न हो। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म होना चाहिए, और मिट्टी के रंगों में प्लास्टर और पेंट किया जाना चाहिए।

ii. बाहरी अग्रभाग पर बाहरी फिनिश के लिए एल्यूमीनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लेमिनेट्स (एचपीएल) और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री जैसी हस्तक्षेपकारी सामग्री के उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

i. समतल छत के डिजाइन का पालन किया जाना चाहिए। एल्युमिनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण भवन की छत पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पानी की टंकियों को ईंट की दीवारों का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए।

ii. स्थानीय घरों के लिए टाइल और छप्पर की ढलान वाली छत बनायी जा सकती है।

5. निर्माण सामग्री:

i. संरक्षित संस्मारक के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। बाहरी सजावट के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमिनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और किसी भी तरह की अन्य सिंथेटिक टाइलों या सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ii. मिट्टी, ईंट, पत्थर और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जो संरक्षित संस्मारक और उसके आसपास के क्षेत्र के विरासत स्वरूप के लिए गैर-हस्तक्षेपकारी हों।

6. रंग:

बाहरी रंग तटस्थ स्वर का होना चाहिए तथा संरक्षित संस्मारक के अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, बेज तथा अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारक तथा उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास उत्पन्न न करें।

7. **अन्य विनियम:**

किसी भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना जैसे फुट-ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर या ऐसी किसी भी परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन रिपोर्ट के अधीन होगा।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

जहां तक संभव हो, आगंतुकों की सुख-सुविधाओं और साधनों पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय 7

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफारिशें:

i. संरक्षित संस्मारक की उत्तरी सीमा पर पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि निकटवर्ती राज्य राजमार्ग पर वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से संस्मारक को बचाया जा सके।

ii. यदि राज्य राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जाए तो, जहां तक संभव हो, संरक्षित संस्मारक की संरक्षित सीमा से दूर की दिशा में किया जाना चाहिए।

iii. मानसून के मौसम में बाढ़ से संरक्षित संस्मारक को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित संस्मारक के चारों ओर जल निकासी की कुशल व्यवस्था की जा सकती है।

iv. किसी भी विकास कार्य के दौरान उस क्षेत्र की मौसम संबंधी विविधताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनसे बारहमासी तालाबों और नदियों का निर्माण होता है ताकि क्षेत्र के प्राकृतिक जल विज्ञान और परिदृश्य को संरक्षित रखा जा सके।

v. संरक्षित संस्मारक या उसके आसपास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग साइनेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

vi. संस्मारक के निकट, विशेषकर संरक्षित संस्मारक की चारदीवारी पर होर्डिंग्स, बिल बोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

vii. संरक्षित संस्मारक के आसपास के क्षेत्र में आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संस्मारक पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

viii. वर्षा जल संचयन जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान, क्षेत्रीय योजना या विकास योजना तैयार की जाए तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और उनके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक धरोहर स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monument **"Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh"** prepared by the Competent Authority, in consultation with Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, New Delhi, were published on 10.09.2020, as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh"

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements:

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2025 of the Protected Monument – **"Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh"**

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:-

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monument or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monument. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parametres for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-Laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case maybe.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out constructionor re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER 3

Location and Setting of the Protected Monument – Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh is situated in the village Asirgarh, approximately 20 km North of the city of Burhanpur.

The GPS coordinates are **Latitude:** 21°28'11" N, **Longitude:** 76°16'48" E.

The Protected Monument is situated in the central region of the Burhanpur District, surrounded by the picturesque hills of Satpura Range, which contribute to its scenic and tranquil setting. The terrain includes open barren lands interspersed with patches of vegetation, creating a mix of arid and green areas. The Protected Monument is easily accessible via State Highway - 27 (Indore –Icchapur Highway), which provides direct connectivity to Burhanpur city. The Protected Monument encompasses the temple complex and a baoli (stepwell), which can be accessed via the Khargone – Burhanpur Highway.

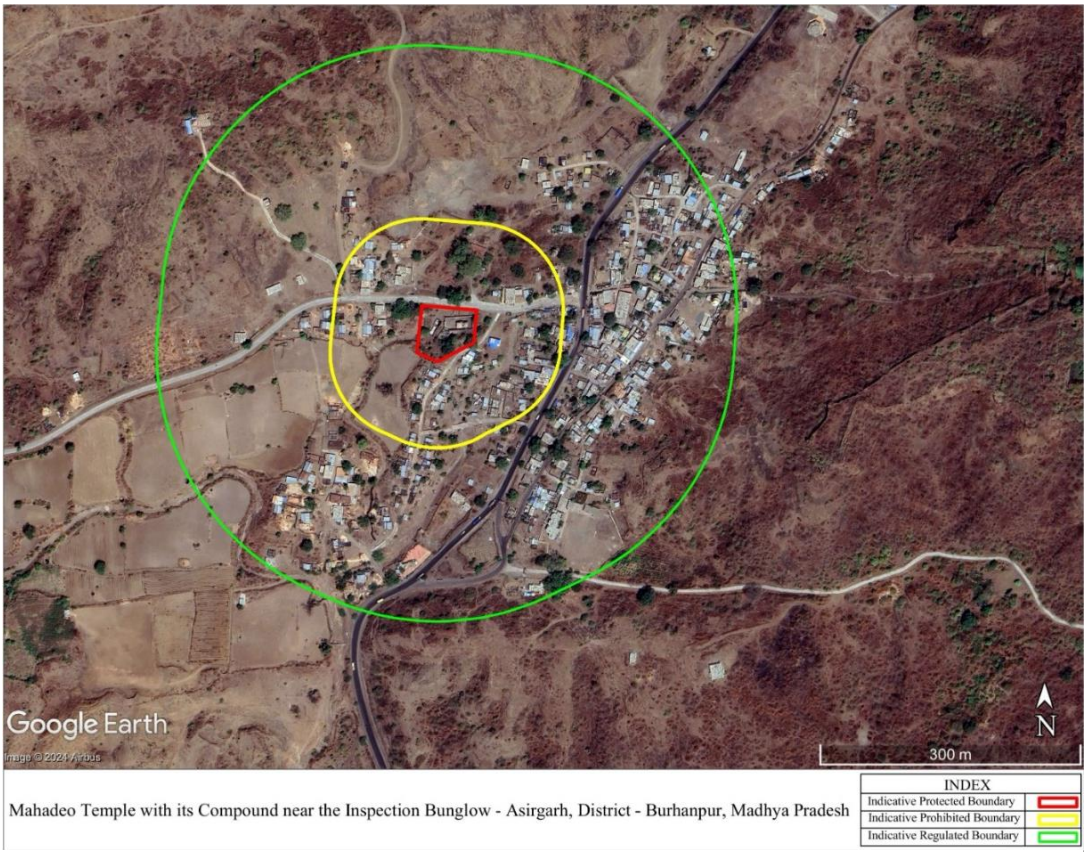

Figure 1: Satellite image showing the location of the Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

The built environment around the Protected Monument is low-density, featuring residential buildings, government offices, and essential amenities such as a Public Works Department (PWD) rest house, a health and wellness centre, a school, and a post office. Additionally, the surrounding area features various amenities, including shops and hotels, primarily located along the main highways. In close proximity, another Protected Monument is present known as The Whole Fort including all the Walls, Sat Darwaza, the Mosque and Temple inside (Asirgarh Fort), located to its East. The fort has a rich history, having been a key stronghold during various historical periods, including the Mughal era. The village and the fort together offer insights into the architectural and cultural heritage of the area. In addition, two other Protected Monuments are present nearby namely Tomb of Shah Numa, Asirgarh and Idgah, front wall with open platform in the North and North-East directions respectively.

The nearest railway station is the Asirgarh Road Station, approximately 12 kilometres from the Protected Monument. The nearest airport, Devi Ahilyabai Holkar International Airport in Indore, is approximately 168 kilometres via State Highway – 27 (Indore-Icchapur Road), providing connectivity to various cities and major urban centres in the country.

3.2 Protected boundary of the Monument:

The Protected Boundary of this Protected Monument - Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I (a)**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

Gazette Notification of Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

Mahadeo temple, dedicated to Lord Shiva, is located below the Asirgarh Fort, near a Public Works Department (PWD) rest house in the village. The structure is attributed to the Maratha period, as Asirgarh came under the control of the Peshwas in 1760 CE and subsequently under the Scindias in 1778 CE. Based on its architectural features, it is likely that the temple was constructed during this time. The temple courtyard features a *deepstambh* (lamp pillar), a characteristic element of Maratha-period temples. The *deepstambh* includes numerous small niches designed to hold oil lamps, reflecting the cultural traditions of the Maratha period.

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

Mahadeo temple is built on a dressed rubble platform. The main structure consisting of a sanctum and *mandapa*. Its lower part, *jangha* and *shikhara* are plain and without any sculptures and the *mandapa* is surmounted by a ribbed dome.

This whole structure of the temple is placed inside a trench made of ashlar masonry with small doors for entrance and the main entrance on the West side. A small well and a *stambh* (pillar) in front of the temple and small rooms are also present in the same compound.

The temple's main structure is divided into two sections. The first is the entrance room or the *mandapa* which holds a bell with a stone statue of Nandi. Proceeding further from the mandapa, a door leads to the second room that is the sanctum, where an old Shivalinga carved of stone is placed at the centre of the floor and a stone statue of Lord Ganesha is placed against the wall. Two niches are also present at the entrance of the second room. Apart from the temple, an old baoli (stepwell) is also present in the Western direction within the Protected Monument.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument-condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monument is the exclusive domain of the Archaeological Survey of India (ASI). The photographs depicting the present condition of the Protected Monument are appended at **Annexure-III**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average number of people visiting the Protected Monument is approximately 50-60 per day. On the occasion of the festival of Maha-Shivratri, the number of people increases to approximately 200 visitors per day.

CHAPTER 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

The Protected Monument is located in the area of Gram Panchayat Asir. There are no zoning regulations in the Asirgarh village by the local bodies.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The general guidelines for the construction are as per Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012 defined under the "Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973)".

CHAPTER 5

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Monument:

Survey Plan of Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

i. Protected Area is approximately 3,275 Sqm (0.80 Acres).

ii. Prohibited Area is approximately 54,261 Sqm (13.40 Acres).

iii. Regulated Area is approximately 2,97,081 Sqm (73.41 Acres).

5.2.2 Description of built-up area:

i. **North:** In the Prohibited Area, several structures are present within the open land surrounding the Protected Monument. These include a PWD rest house, a road with a culvert, a health and wellness centre known as Ayush Swasthya Evam Kalyan Kendra, and a school. Additionally, there are residences in the North-West direction and the Gram Panchayat Asir office building in the North-East direction. In the Regulated Area, there are some residences and a tube well present.

ii. **East:** The Prohibited and Regulated Area exhibits a low-density built character, predominantly surrounded by open barren land. Within the Prohibited Area, there are residential buildings, a bus stop, a forest house, and a post office. The office of Gram Panchayat Asir is located in the North-East direction. In the Regulated Area, there are shops and hotels along the State Highway – 27 (Indore-Icchapur Highway), which are mostly single storey structures. Additionally, the Regulated Area includes various buildings such as residences, a police station, toilets, an overhead tank, a dargah (shrine), a tube well, and a bus stop. A mosque is situated at the intersection of the Indore-Icchapur Highway and Khargone-Burhanpur Highway. An animal hospital is also present in the North-East direction.

iii. **South:** The built character within both the Prohibited and Regulated Areas is of low density. In the Prohibited Area there are residences, toilets, a culvert and a water tank. In the South-east direction, the office of the Revenue Inspector is present. In the Regulated Area there are residences, schools and temples, along with four culverts and a well. In the South-West direction there

is a cluster of residential buildings surrounded by open land on three sides except to the East which has scant built up along the State Highway – 27 (Indore-Icchapur Highway). There is a temple known as Mata Shree Khodiyar Temple located in this area.

iv. **West:** Both the Prohibited and Regulated Areas are characterized by minimal construction and predominantly open land. In the Prohibited Area, there are a few residences, wells and a stop dam for the seasonal stream. The Regulated Area consists mostly of residential buildings, along with a few other structures including a tube well and a water tank.

5.2.3 Description of green/open spaces:

The area around the Protected Monument is characterized by low-density construction and the presence of green/open spaces in both the Prohibited and Regulated Area. To the North of the Protected Monument, the landscape is predominantly open barren land with very few buildings. To the East, open spaces are interspersed among residential buildings, along with a few vacant plots. Beyond the settlement to the South-East, open barren land is prevalent. In the Prohibited Area to the South of the Protected Monument, there is open agricultural land present along with open barren land, dotted with some residential buildings. The Regulated Area to the South also features open barren land, along with open space within the premises of the Mata Shree Khodiyar Temple complex. To the West of the Protected Monument there is open agricultural land present to the South of Khargone-Burhanpur Highway and open barren land to the North of the highway. The landscape of this area includes a terrain of open barren lands interspersed with patches of vegetation, creating a mix of arid and green areas.

5.2.4 Area covered under circulation-roads, footpaths etc:

The village of Asirgarh is directly connected via State Highway 27 (Indore-Icchapur Highway), which links to Burhanpur city to the South. This highway passes through the Regulated Area of the Protected Monument and connects to the Khargone–Burhanpur Highway, providing direct access to the Protected Monument. A narrow road runs along the Eastern side of the Protected Monument, leading from the highway towards the South, connecting it with other parts of the village settlement. Additionally, there are several village roads and a few earthen roads present within the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

5.2.5 Existing Heights of buildings:

The general built character of the Prohibited and Regulated Area includes low-density construction with structures ranging from ground level to G+1 in height which are predominantly residential buildings along with a few commercial buildings. The height of the buildings ranges from 3 metres to 7.5 metres approximately in the North direction. In the East and South directions, the height of the buildings ranges from 3 metres to 7 metres approximately. In the West direction, there are very few buildings present with the height ranging from 3 metres to 3.5 metres approximately.

5.2.6 State protected monument and listed heritage building by local authorities if Available within Prohibited/Regulated:

No state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities, are present, within the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument.

5.2.7 Public amenities:

The Prohibited and Regulated Areas are provided with essential public amenities.

5.2.8 Access to the monument:

Access to the Protected Monument is facilitated via the Khargone–Burhanpur Highway, a metalled road which connects to the State Highway 27 (Indore-Icchapur Highway) in the East of the Protected Monument. The State Highway 27 has direct connectivity with the city of Burhanpur, situated approximately 20 kilometres South of the Protected Monument.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid Waste management, parking etc.):

Basic infrastructure services are available in the Prohibited and Regulated Area.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies:

The Protected Monument is located in the area of Gram Panchayat Asir. There are no zoning regulations in the Asirgarh village by the local authorities.

CHAPTER 6

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value:

Architectural Value:

The Mahadeo Temple in Asirgarh village is a testament to the region's architectural ingenuity, historical depth, and cultural richness. The intricate carvings and ornate decorations on the walls and pillars reflect the skilled craftsmanship of the era. The use of stone masonry and detailed motifs showcases traditional building techniques and artistic styles of that period.

Historical Value:

The Mahadeo Temple dates back to the medieval period. Its long-standing presence underscores the enduring religious and cultural significance of the site. The temple and the surrounding area have witnessed various historical events and transitions, including periods of rule by different dynasties and empires, such as the Mughals and Marathas. These historical layers add to the temple's rich narrative.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The Protected Monument is situated on a site with undulating terrain, causing it to lie lower than the adjacent road level. During the monsoon season, there is water accumulation in and around the Protected Monument. The access road to the Protected Monument is a highway with heavy vehicular traffic, which poses potential risks by impacting its surrounding environment, generating noise and air pollution, and causing vibrations that could compromise the Protected Monument's structural integrity and authenticity. Currently, the development around the Protected Monument is of low density. However, as the village expands, both the Prohibited and Regulated Areas are becoming more susceptible to developmental pressure. This could alter the historical context and setting of the Protected Monument, which presently includes open barren lands interspersed with patches of vegetation, creating a mix of arid and green areas.

6.3 Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area:

The Protected Monument provides views of open barren land and agricultural fields to the North and West, with a few scattered constructions visible to the North. To the East and South, the landscape is primarily characterized by modern buildings dispersed throughout the village.

The Protected Monument is visible from the North, West, and South-West owing to the presence of open barren land. However, clear visibility is only possible from the adjacent roads as the site is low lying. The Protected Monument has partial visibility from the South. However, in the East and South-East directions, visibility is significantly reduced within both the Prohibited and Regulated Areas. In the East, the Protected Monument is completely obscured by modern structures.

6.4 Land - use to be identified:

Due to the absence of any master plan/development plans, there is no land use designated for the area. However, the existing use of land in the Prohibited Area is residential along with agricultural in the West and South-West. In the Regulated Area there are predominantly residential buildings with a few commercial and public buildings.

6.5 Archaeological heritage remains other than Protected Monument:

There are no known or reported archaeological heritage remains in the Prohibited and Regulated Area to date.

6.6 Cultural landscapes:

There is no cultural landscape surrounding the Protected Monument in the Prohibited and Regulated Area.

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps inprotecting the monument from environmental pollution:

The Protected Monument is surrounded by open barren land to the North and West. The landscape of this area includes a terrain of open barren lands interspersed with patches of vegetation, creating a mix of arid and green areas. Seasonal variations in Burhanpur District create a dynamic landscape that shifts with the weather, influencing both the natural environment and human activities. In the Prohibited and Regulated Area, during the monsoon season, previously barren or dry areas become lush with green cover. Seasonal streams and perennial pools located to the North and West of the Protected Monument contribute to mitigating environmental pollution.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces to the North of the Protected Monument, within the Prohibited and Regulated Areas, are predominantly barren. To the West and South-West of the Protected Monument, the open spaces are currently utilized for agricultural purposes. Additionally, open spaces between buildings, including vacant plots and residual areas resulting from low-density development, are dispersed throughout the village. In the Regulated Area to the South, the open space within the Mata Shree Khodiyar Temple complex is used for religious and communal gatherings.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

During the festival of Maha-Shivaratri, people from the local and nearby villages gather at the Mahadeo temple.

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The skyline, as visible from the Protected Monument combines natural expanses with evolving built environments, providing a broad and varied perspective. To the North and West, there is open barren land and agricultural fields with a few scattered constructions visible. To the East and South, the skyline is a mix of buildings with a few open spaces interspersed between them.

The skyline from the Eastern and South-Eastern direction of the Prohibited and Regulated Area features buildings interspersed with open spaces. From the North and West, expansive views include open barren land and agricultural fields. However, the Protected Monument is only clearly visible from the adjacent roads.

6.11 Traditional architecture:

In the Prohibited and Regulated Area of the Protected Monument, several houses are constructed in the vernacular style of architecture of the region. This includes mud and adobe houses with thatched roofs.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

No developmental plan is available by the local authorities.

6.13 Permissible Building related parameters:

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built area and open area relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the protected monument and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monument or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the facade such as glazing, metal cladding,

Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the protected monument.

6.13.3 B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam 1984, amended 2012, defined under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, as and when amended shall be applicable, however, the height and other parametres specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the monument.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings in all Zones of the Regulated Area shall not exceed **7.5 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc. or any other services on the roof).

   Construction of the basement should be discouraged.

2. **Usage:**

   i. The low-density residential character of the surroundings should be maintained.

   ii. The open agricultural land to the West of the Protected Monument should be retained.

   iii. The open barren lands may only be used for agricultural development, reforestation, or recreational purposes.

3. **Façade design:**

   i. The façade design of any new construction should be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monument and the overall character of the surrounding area. The façade design should be subtle, and plastered and painted in earthy colours.

ii. Use of intrusive materials such as Aluminium Composite Panel (ACP), High Pressure Laminates (HPL) and any other synthetic material for exterior finishes on the exterior facade should be discouraged.

4. Roof design:

i. Flat roof design should be followed. Erection of Structures, even of temporary nature, using materials such as Aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the building. Water tanks should be screened off using brick walls.

ii. For vernacular houses sloping roof with tiles and thatched roofs may be followed.

5. Building material:

i. Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monument should be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes.

ii. Building materials like mud, brick, stone and cement may be used which are non-intrusive to the heritage character of the Protected Monument and its surroundings area.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone and in harmony with the Protected Monument such as buff sandstone colour, beige and other earthy colours which do not create a harsh contrast with the Protected Monument and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposal for construction of any large-scale public infrastructure project like, foot-over bridges, flyover or any such project shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment report.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities may be considered as far as feasible.

CHAPTER 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. Trees should be planted along the Northern boundary of the Protected Monument to screen it from the noise pollution from vehicular monument on the adjacent State Highway.

ii. The widening of the State Highway, if done, should be in a direction away from the Protected Boundary of the Protected Monument as far as feasible.

iii. Efficient storm water drainage may be provided around the Protected Monument in order to safeguard the Protected Monument from flooding during the monsoon season.

iv. Any development should take into consideration the seasonal variations in the region, which lead to the formation of perennial pools and streams, to conserve the natural hydrology and landscape of the area.

v. LED or digital signs, plastic fibre glass, or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monument or its immediate surrounding areas.

vi. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monument, especially on the boundaries of the Monument.

vii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monument may be encouraged to mitigate adverse impact on the monument due to vehicular emissions and vibrations.

viii. Construction of green buildings including best practices like rain water harvesting should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan or Development Plan is prepared, it should clearly show all the Protected Monuments of National Importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts maybe referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक–I
ANNEXURE–I

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

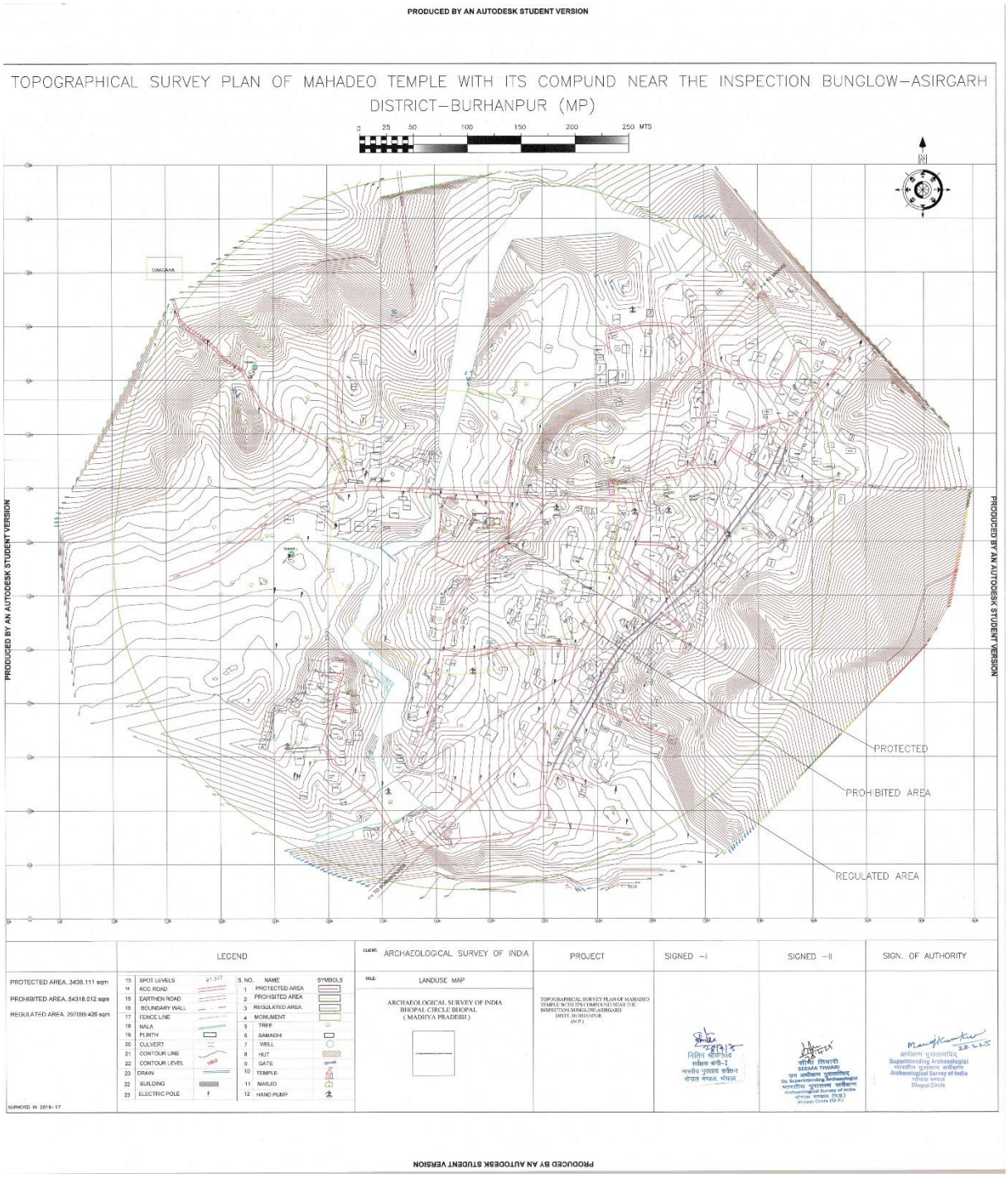

अनुलग्नक–I (क)
ANNEXURE–I (a)

निरीक्षण बंगले के समीप अहाते सहित महादेव मंदिर, असीरगढ़, जिला-बुरहानपुर, मध्य प्रदेश की संरक्षित सीमा को दर्शाने वाला अभिलेखीय मानचित्र

Archival Map showcasing the Protected Boundary of Mahadeo Temple with its Compound near the Inspection Bungalow, Asirgarh, District-Burhanpur, Madhya Pradesh

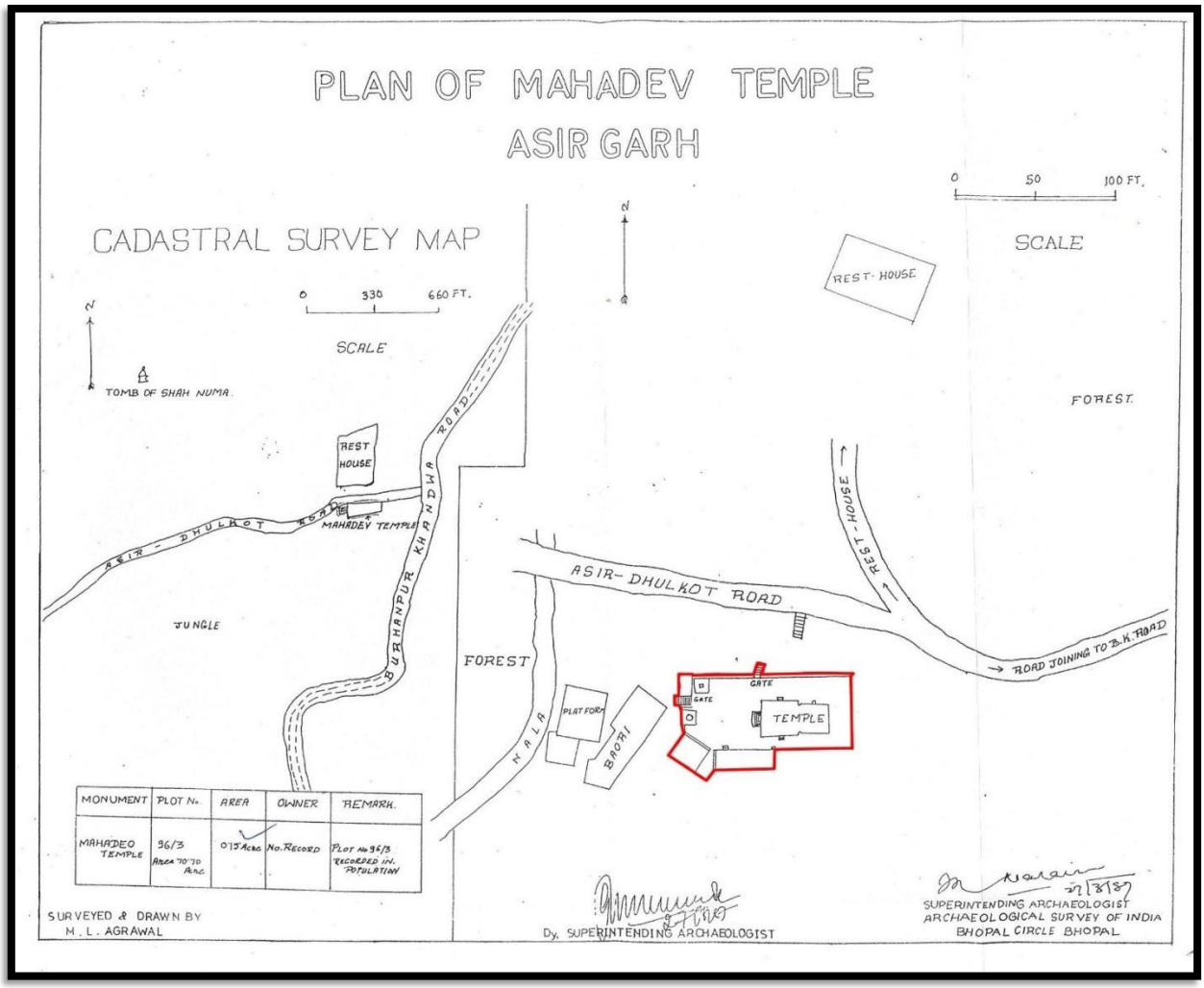

अनुलग्नक-II
ANNEXURE–II

संस्मारक की अधिसूचना
NOTIFICATION OF THE MONUMENT

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Nagpur, the 4th December 1913.

No. 152.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (1) of the Ancient Monuments Preservation Act, VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare, as protected, the ancient monuments described in the schedule below:—

Serial No.	District.	Tahsil.	Village.	Description of the monuments.
1	Nagpur ...	Ramtek ...	Nagardhan ...	Fort just south of the village.
2	Do. ...	Do. ...	Dongartal ...	Fort at the bottom of the hill.
3	Chanda ..	Warora ..	Neri ..	Temple of Mahadeo.
4	Do ..	Chanda ...	Chanda ..	The enclosure and buildings of the Gond Rajas' Tombs just outside the Achaleshwar Gate of the City.
5	Do. ..	Garchiroli ..	Deotak ...	Asoka slab inscription.
6	Do. ...	Brahmapuri ..	Thanegaon ...	Temple.
7	Do. ..	Do. ...	Arhori ...	Do.
8	Buldana ..	Malkapur ..	Kothali ..	Two old temples.
9	Jubbulpore ...	Sihora ..	Bahoriband ..	Rupnath near Bahoriband.
10	Do. ...	Murwara ...	Karanpur ..	Varaha near Karitalai.
11	Do. ..	Jubbulpore ...	Panagar ..	Large effigy of Vishnu Varaha said to belong to period of Aurangzeb.
12	Saugor. ...	Khurai ...	Bamoda ..	Temple.
13	Do. ...	Do.	Khimlasa ..	Old mosque, Idgah, well, gateway of the fort and Nagira Mahal.
14	Do. ...	Saugor ..	Rahatgarh ...	Fort.
15	Do. ..	Do. ...	Garhpahra ...	All structures in or connected with the Mahal (Fort) of the old Dangi Rulers.
16	Do. ..	Khurai	Khimlasa (Fort)	Tomb or Panj-pirs.
17	Do. ...	Banda ...	Dhamoni ..	Fort.
18	Do.	Do.	Do. ...	Tomb and mosque of Baljiti Shah
19	Nimar ...	Punhanpur ...	Burhanpur	Jumma Masjid with compound, reservoir, ablo-rooms and gateway.
20	Do. ...	Do. ..	Asirgarh ...	The whole fort, including all the walls, Sat Darwaza, the mosque and temple inside.
21	Do. ...	Do	Do.	Mahadeo Temple with its compound near the Inspection Bungalow, Tomb of Shah Gohar with compound and the Idgah.
22	Seoni ...	Seoni ...	Seoni ...	Mandara Tank.
23	Betul ...	Bhainsdehi ...	Bhainsdehi ..	Temple with ornamental stones collected.
24	Damoh. ...	Damoh ..	Narsingarh ..	Mosque on the Damoh-Narsingarh-Batiagarh Road.
25	Akola ..	Akola ..	Barsi Takli	Black stone temple of Shawali to the south-east of the town and on its outskirts.
26	Do. ...	Ballapur ..	Patur ...	Two caves.
27	Hoshangabad ...	Sohagpur ...	Pachmarhi ..	Caves.

अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed Copy of Notification

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Nagpur, the 4th December 1913.

No. 152.- In exercise of powers conferred by Section 3(1) of the Ancient Monuments Preservation Act, VII of 1904, the Chief Commissioner is pleased to declare as protected, the ancient monuments described in the schedule below:-

Serial No.	District	Tahsil	Village	Description of the monuments
1.	Nagpur	Ramtek	Nagardhan	Fort Just South of the village
2.	Do	Do	Dongartal	Fort at the bottom of the hill
3.	Chanda	Warora	Neri	Temple of Mahadeo
4.	Do.	Chanda	Chanda	The enclosure and buildings of the Goud Rajas' Tombs Just Outside the Achaleshwer Gate of the City
5.	Do.	Garchiroli	Deotak	Asoka slab Inscription
6.	Do,	Brahmapuri	Thanegaon	Temple
7.	Do.	Do	Armori	Do
8.	Buldana	Malkapur	Kothali	Two old Temples
9.	Jabhulpur	Sihora	Bahoriband	Rupnath and Bihoribandh
10.	Do	Murwara	Karanpur	Varaha near Karitalai
11.	Do	Jabhulpure	Panagar	Large effigy of Vishnu Varaha said to belong to period of Aurangzeb
12.	Saugor	Khurai	Bamoda	Temple
13.	Do.	Do.	Bhimlasa	Old Mosque Idgah well gateway of the fort and Nagira Mahal
14.	Do.	Saugor	Rahatgarh	Fort
15.	Do.	Do.	Garhphera	All Structures in or connected with the mahal (Fort) of the old Dangi Rulers
16.	Do.	Khurai	Khimlasa(Fort)	Tomb or Panj-pirs
17.	Do.	Banda	Dhamoni	Fort
18.	Do.	Do	Do	Tomb and mosque of Baljiti Shah
19.	Nimar	Burhanpur	Burhanpur	Juma Masjid with compound reservoir rooms and gateway
20.	Do.	Do	Asirgarh	The Whole Fort including all the walls, Sat Darwaza, the mosque and temple inside.
21.	Do.	Do	Do	Mahadeo Temple with Compound near the inspection near Bangalow Tomb of Shah Gohar with Compound and the Idgah

अनुलग्नक–III
ANNEXURE–III

संरक्षित संस्मारक और उसके आस-पास के चित्र
Images of the Protected Monument and its surrounding areas

चित्र 1: उत्तर-पश्चिम से संरक्षित संस्मारक का दृश्य
Image 1: View of the Protected Monument from the North-West direction

चित्र 2: मंदिर के सामने का दृश्य
Image 2: Front view of the temple

चित्र 3: मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों का दृश्य
Image 3: View of the entrance steps to the temple complex

चित्र 4: मंदिर के पास संरक्षित क्षेत्र में मौजूद बावली
Image 4: Baoli present in the Protected Area near the temple

चित्र 5: मंदिर मंडप का आंतरिक दृश्य
Image 5: Interior view of the temple Mandapa

चित्र 6: उत्तर-पूर्व दिशा में संपर्क रोड से मंदिर का दृश्य
Image 6: View of the temple from the approach road in the North-East direction

चित्र 7: पृष्ठभूमि में दृश्यमान असीरगढ़ किले के साथ खरगोन-बुराहनपुर राजमार्ग
Image 7: Khargone-Burhanpur Highway with Asirgarh Fort visible in the background

चित्र 8: ग्राम पंचायत असीर का कार्यालय
Image 8: Office of Gram Panchayat Asir

चित्र 9: उत्तर दिशा में कम घनत्व वाली निर्मित संरचना

Image 9: Low-density built character in the North direction

चित्र 10: इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग और खरगोन-बुराहनपुर राजमार्ग का चौराहा

Image 10: The intersection of the Indore-Icchapur Highway and Khargone-Burhanpur Highway

चित्र 11: पूर्व में इंदौर-इच्छापुर राजमार्ग के किनारे दुकानें

Image 11: Shops along the Indore-Icchapur Highway to the East

चित्र 12: दक्षिण दिशा में निर्मित संरचना माता श्री खोडियार मंदिर के आसपास कम घनत्व वाली निर्मित संरचना

Image 12: Built up in the South direction low-density built character around Mata Shree Khodiyar Temple